केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :48 अंक 07 रविवार 26 जुलाई 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

प्रधान का इस्तीफा, केस वापसी, मुआवजा, सरकार ने मानी सभी मांगे, सीजेपी ने खत्म किया आन्दोलन

नई दिल्ली (आभा)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस इस्तीफे के बाद सरकार और सीजेपी नेताओं के बीच में बैठक हुई। इसमें सरकार ने उनकी बाकी दो मांगों को भी मान लिया है। इसके बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे के ऐलान के बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और प्रदर्शनकारियों के बीच में जश्न का माहौल है। कॉकरोच जनता पार्टी के

फाउंडर अभीजित दीपके ने इसे छात्रों की जीत बताया। उन्होंने मंच से इसका ऐलान करते हुए कहा कि हमने कर दिखाया। उन्होंने कहा, "लोग कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। इस सरकार में मंत्री इस्तीफे नहीं देते हैं। लेकिन हमने कर दिखाया। हमने आखिरकार कर दिखाया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इसलिए आज में उन लोगों से कहना चाहता हूं कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए।

भाजपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान के मंत्री पद से दिए इस्तीफे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। यह पिछले तीन दिनों में मोदी सरकार के दूसरे मंत्री का इस्तीफा है। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही प्रशासन ने भी माहौल को नॉर्मल करना शुरू कर दिया है। जंतर मंतर के आसपास के हिस्सों में इंटरनेट फिर से बहाल कर दिया गया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस आंदोलन में हिंसा को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने छात्रों के साथ हुई हिंसा के लिए केंद्रीय गृहमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, हमारे छात्रों के खिलाफ हुई हिंसा के लिए हम सीधे तौर पर अमित शाह को जिम्मेदार मानते हैं। उन्होंने ही हमारे छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। उन्होंने ही हमारे छात्रों के खिलाफ पैलेट गन समेत घातक हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। हमारे लिए यह एक बुनियादी मुद्दा है। हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी अपनी ही फोर्स भारत के भविष्य पर गोली चलाए। संसद में यह एक बड़ा मुद्दा होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह आंदोलन भारतीय छात्रों की और से सरकार को एक चेतावनी है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि आप आप भारत को उस तरह नहीं चला सकते जैसे अब तक चलाते रहे हैं।

शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे से कांग्रेस में खुशी की लहर: निकाला विजय जुलूस, बांटी मिठाई

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे से कांग्रेस में खुशी की लहर है। शनिवार की देर शाम कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर एकत्र हुये और कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी के नेतृत्व में विजय जुलूस निकाला। जुलूस रोडवेज के निकट स्थित देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा से होते हुये शहीदे आजम भगत सिंह की प्रतिमा तक पहुंचा। कांग्रेस नेताओं ने मिठाईयां बाटकर खुशियों को साझा किया।

कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी ने कहा कि सच्चे अर्थो में एक देश के युवाओं की जीत है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि धर्मेन्द्र प्रधान को त्याग पत्र देना ही होगा और उनकी बात फिर सत्य सिद्ध हुई। कहा कि जन्तर मन्तर पर छात्रों पर हुई हिंसा के लिए गृह मंत्री अमित शाह सीधे जिम्मेदार हैं। छात्रों पर चलाई गई पैलेट गन चलायी गई।उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिये।

—छात्रों की एकजुटता को मिली जीत— विश्वनाथ

कांग्रेस नेता देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, ज्ञानेन्द्र पाण्डेय ज्ञानू, डा. वाहिद अली सिद्दीकी, संदीप श्रीवास्तव, अलीम अख्तर, कर्नल ए. के. सिंह, नर्वदेश्वर शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को युवाओं से माफी मांगनी होगी। वे भारत के अतीत हैं और अतीत कभी भविष्य से लड़ नहीं सकता। कहा कि सच्चे अर्थो में यह लोकतंत्र की जीत है। युवाओं की मांगों को पूरा करना ही होगा।

विजय जुलूस में मुख्य रूप से जयंत चौधरी, डा. दीपेन्द्र सिंह, अमित सिंह सुरेन्द्र मिश्रा, रफीक खान, दीनानाथ शास्त्री, लक्ष्मी यादव, अनिल भारती, अमर बहादुर शुक्ल, साधु शरण आर्य, देवी प्रसाद पाण्डेय, , सुनील पाण्डेय, अतिउल्लाह, गुड्डू सोनकर, अकरम, शुभम, सर्वेश शुक्ला, अभिषेक, वृजभान कनौजिया, फिरोज खान, संजीव त्रिपाठी, रामबचन भारती, राम पूरन चौधरी, चंद्रशेखर वर्मा, शिवविभूति मिश्र, दूधनाथ पटेल, आनन्द निषाद, अनन्त मिश्र, हरीश गुप्ता, महादेव पाण्डेय, आशुतोष पाण्डेय, बब्लू शुक्ल, लालजी शर्मा, अजय शुक्ल के साथ ही कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल रहे।

शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के त्याग पत्र में कांग्रेस की बड़ी भूमिका— अवधेश सिंह

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता अवधेश सिंह ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्याग पत्र पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये कहा कि यह देश के उन युवाओं की जीत है जिन्होने अपनी मांगों को पूरा कराने के लिये लोकतांत्रिक रास्ता चुना। प्रेस को जारी विज्ञप्ति में कांग्रेस नेता अवधेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस युवाओं के आन्दोलन में संसद से सड़क तक डटी रही। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को त्याग पत्र देना होगा। अंततः उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा।

कांग्रेस नेता अवधेश सिंह ने कहा कि लोग कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। इस सरकार में मंत्री इस्तीफे नहीं देते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री को त्याग पत्र देना ही पड़ा। उन्होने मांग किया कि प्रधानमंत्री छात्रों और भारत के भविष्य को सम्मान देते हुए माफी मांगें और छात्रों पर हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई हो। ये समाज के दूसरे वर्गों किसानों, मजदूरों, गरीबों, हर वो व्यक्ति जिसे इस सरकार ने दबाया है, कुचला है। अपने सम्मान के लिए संवैधानिक तरीके से डटकर खड़े होने में ही असली साहस है।

शहादत दिवस के रूप में पूर्व सांसद फूलनदेवी को किया नमन्

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। शनिवार को विकासखण्ड दुबौलिया के ग्राम पंचायत अशोकपुर माझा में रमावती ब्रह्मर्षि विद्यापीठ में वीरांगना फूलन देवी का शहादत दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि सुरेन्द्र मोहन निषाद ने कहा कि अन्याय व शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज की प्रतीक वीरांगना पूर्व सांसद फूलन देवी थी औरं सामाजिक न्याय नारी शक्ति की मशाल थी । निषाद समाज को आगे बढ़ाने में शिक्षा ही मुख्य साधन है जिसके माध्यम से निषाद समाज का विकास होगा । स्व० फूलन देवी ने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष की थी यदि आज स्व० फूलन देवी जीवित होती तो निषाद समाज की यह दशा न होती । जब समाज में निषाद समाज की दशा अच्छी रहेंगी तो निषाद समाज कभी भी पीछे नहीं रहेगा अर्थात् हर स्तर पर भागीदार बनकर खड़ा रहेगा जिससे निषाद समाज की हर समस्याओं का निस्तारण आसानी से होगा ।

—सामाजिक न्याय की मशाल थी फूलनदेवी—सुरेन्द्र मोहन

समाजसेवी ई. राजबहादुर निषाद ने कहा कि निषाद समाज को सबसे पहले शिक्षित होना जरूरी है शिक्षा के बिना निषाद समाज का विकास नही होगा । समाजसेवी व पत्रकार संदीप निषाद ने भी निषाद समाज को जागरुक किया और आपस में भाई चारा बनाकर रहने की अपील किया । आर डी निषाद ने स्व० फूलन देवी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि फूलन देवी के किये गये संघर्षों के रास्ते पर चलने की सीख लेनी चाहिए ।

कार्यक्रम में सुरेन्द्र मोहन निषाद भावी विधायक प्रत्याशी 307 हरैया, रेखा निषाद, राजाराम निषाद, दयाराम निषाद, विनोद निषाद, ई० राज बहादुर निषाद, संदीप , मनीष, पंकज, राम प्रसाद, राम वदन, अनिल, सुन्दर, सूर्यभान, रेनू , माधुरी, राम नरेश, दशरथ, धर्मेन्द्र निषाद समेत भारी संख्या में निषाद समाज के महिलाएं, पुरुष व बच्चे उपस्थित रहे ।

नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, बीएसए कार्यालय में बाबू के खिलाफ मुकदमा दर्ज

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। कोतवाली थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर एक बेरोजगार युवक से छह लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी बाबू के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिगिना निवासी विनोद कुमार शुक्ला पुत्र स्व0 कृष्ण प्रसाद शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह बेरोजगार थे और उनकी मुलाकात बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बाबू के पद पर तैनात विमल कुमार त्रिपाठी से हुई। आरोप है कि त्रिपाठी ने खुद को कई लोगों की शिक्षा विभाग में नौकरी लगवाने वाला बताते हुए शिकायतकर्ता से अठारह लाख रुपये की मांग की, जिसमें से छह लाख रुपये पहले देने की शर्त रखी गई।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने रिश्तेदारों व हितैषियों से रुपयों का इंतजाम कर 18 नवम्बर 2016 को दो गवाहों की मौजूदगी में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में आरोपी को छह लाख रुपये नकद दे दिए। इसके बाद भी न तो नौकरी लगी और न ही रुपये वापस मिले। आरोपी टालमटोल करता रहा और व्हाट्सऐप पर सैकड़ों संदेश भेजकर आश्वासन देता रहा।

शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि बाद में आरोपी ने अपने एचडीएफसी बैंक खाते का एक चेक दिया, जो खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गया। जब शिकायतकर्ता ने इस पर सवाल उठाया तो आरोपी ने यह कहते हुए धमकी दी कि अब वह संयुक्त शिक्षा निदेशक के कार्यालय में तैनात हो गया है और शिकायतकर्ता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

थाना प्रभारी को सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक बस्ती को प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर सीओ सिटी की जांच रिपोर्ट के बाद 23 जुलाई को कोतवाली थाने में मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस जांच कर रही है। मामले की विवेचना उप निरीक्षक राम कुमार यादव को सौंपी गई है।

भाकपा के विस्तारित बैठक में पदाधिकारी घोषित

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। शनिवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कौंसिल की विस्तारित बैठक कटरा के निकट स्थित शिविर कार्यालय पर जिला सचिव का. अशर्फीलाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सर्व सम्मत से का. सन्तराम को अखिल भारतीय नौजवान सभा का जिला संयोजक, का. सुभाष चन्द्र को संयोजक, का. रामधीरज चौधरी को किसान सभा का जिला संयोजक और का. विफईराव को खेत मजदूर यूनियन का जिला संयोजक घोषित किया गया।

बैठक को सम्बोधित करते हुये जिला सचिव का. अशर्फीलाल ने कहा कि समूचा देश अनगिनत

—गरीबों को अधिकार दिलाने के लिये तेज करें संघर्ष— अशर्फीलाल

चुनौतियों, मंहगाई, गरीबी, रोजगार के संकट से गुजर रहा है। ऐसे हालात में पदाधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुये गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों और उपेक्षित समाज के हक हकूक के लिये संघर्ष तेज करना होगा।

भाकपा के विस्तारित बैठक में मुख्य रूप से का. रामशंकर, राम दयाल, मिसलावती, सरोज, खुशबू, तुलसीराम, परशुराम, कृष्णा प्रसाद, राम उजागिर, रामधीरज, गजाधर आदि शामिल रहे।

शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री को भेजा 6 सूत्रीय ज्ञापन: समस्याओं के निस्तारण की मांग

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती । शनिवार को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ प्रदेश नेतृत्व के आवाहन पर जिलाध्यक्ष बीरेन्द्र कुमार शुक्ल के संयोजन में जनपद के शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित 6 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। मांग किया कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का प्रभावी समाधान कराकर शिक्षक के रूप में समायोजन सुनिश्चित कराया जाय।

ज्ञापन सौंपने के बाद संघ के मण्डल अध्यक्ष प्रवीन श्रीवास्तव, संरक्षक संजय यादव, जिलाध्यक्ष बीरेन्द्र कुमार शुक्ल ने कहा कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में विगत 25 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षामित्र जो स्नातक बीटीसी उत्तीर्ण हैं। महंगाई के इस दौर में शिक्षामित्र को मात्र 18 हजार रुपए और 11 माह का ही मानदेय मिल रहा है, जिससे शिक्षामित्रों के परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। इस कारण उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्र आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या जैसे कदम उठा उठा रहे हैं। अच्छा हो कि सरकार शिक्षा मित्रों की समस्याओं का प्रभावी समाधान कराने की दिशा में पहल करे।

मुख्यमंत्री को भेजे 6 सूत्रीय ज्ञापन में टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण एवं एनसीटीई मानकों को पूर्ण करने वाले लगभग 60,000 शिक्षामित्रों को सुपर टेट से छूट प्रदान करते हुए उन्हें विद्यालयों में शिक्षक पद पर समायोजित करने, शिक्षामित्रों की योग्यता और अनुभव को देखते हुए उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किये जाने, शिक्षामित्रों को वर्ष में 11 माह के स्थान पर 12 महीने का मानदेय दिये जाने और बेसिक स्कूलों में आयोजित होने वाली स्पेशल टीईटी परीक्षा में उन्हें सम्मिलित होने का अवसर दिये जाने, शिक्षा मित्रों को शासनादेश के अनुसार अपने मूल विद्यालय या उसके निकट और विवाहित महिला शिक्षा मित्रों को अपने ससुराल के निकट जिला या जिले के बाहर स्थानान्तरण और समायोजन आदि की मांग शामिल है।

—दिवंगत शिक्षा मित्रों को दिया श्रद्धांजलि, पीडित परिवार को सहयोग देने की मांग

ज्ञापन में इस बात पर भी गहरा दुख जताया गया कि अब तक हजारों की संख्या में शिक्षामित्रों का असामयिक निधन हो चुका है, ऐसे में पीड़ित परिवारों को उचित आर्थिक सहायता देने और परिवार के एक सदस्य को योग्यतानुसार सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई गई।

ज्ञापन देने से पूर्व शिक्षा मित्रों ने 25 जुलाई 2017 से 2026 के दौरान दिवंगत हुये शिक्षा मित्रों को समायोजन निरस्त होने के नौवी बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। ज्ञापन देने के दौरान मुख्य रूप से संजय यादव, संदीप कुमार सिंह, बाबूलाल, अशद जमाल, राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, राणा प्रताप सिंह, राघवेन्द्र सिंह, अशोक सिंह, राम प्रकाश वर्मा, प्रदीप चौधरी, धनंजय सिंह, राधेश्याम, ऋषिकान्त तिवारी, सुनील शुक्ल, जय प्रकाश शुक्ल, इन्द्रजीत यादव, मुक्तेश्वर यादव, अनूप कुमार सिंह, रामेन्द्र श्रीवास्तव, आलोक सिंह, धर्मेन्द्र कुमार पाठक, ब्रम्हानन्द गुप्ता, नरसिंह चौधरी, विश्व मूर्ति पाण्डेय, रमजान अली, पवन तिवारी, भोला शुक्ला के साथ ही अनेक शिक्षक, शिक्षा मित्र शामिल रहे।

15 वीं पुण्य तिथि पर रक्तदान, संगोष्ठी, सहभोज के साथ याद किये गये विष्णुदत्त ओझा, 166 ने किया रक्तदान

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती । जन सरोकारों के प्रति समर्पित विष्णुदत्त ओझा के 15 वीं पुण्य तिथि पर शनिवार को आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पुस्तकालय एवं वाचनालय टाउन क्लब के परिसर में रक्तदान शिविर 'रक्तदान एक सामाजिक जिम्मेदारी' विषयक संगोष्ठी और सहभोज का आयोजन किया गया । यह जानकारी देते हुये विष्णुदत्त ओझा रक्तदान एवं जन सेवा समिति के संयोजक नन्दीश्वर दत्त ओझा ने बताया कि आस्था के बीच 166 लोगों द्वारा रक्तदान के साथ ही स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये स्मृतियों को साझा किया गया।

रक्तदान शिविर के दौरान भावुक विष्णुदत्त ओझा रक्तदान एवं जन सेवा समिति के संयोजक नन्दीश्वर दत्त ओझा ने कहा कि आज स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा का भौतिक शरीर हमारे बीच नहीं है किन्तु उनका योगदान सदैव याद किया जायेगा। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला प्रधान आर्य समाज ओमप्रकाश आर्य, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र, सुशील सिंह, गोपेश्वर त्रिपाठी, दयाशंकर मिश्र, अनुराग शुक्ल आदि ने कहा कि रक्तदान केवल एक चिकित्सकीय आवश्यकता नहीं, यह

—रक्तदान सामाजिक उत्तरदायित्व—नन्दीश्वरदत्त ओझा

मानवता के प्रति सभी स्वस्थ नागरिकों का नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व है।

स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा की स्मृति में रक्तदान करने वालों में रक्तदान करने वालों में विवेक चौबे अवधेश पाण्डेय, शरद कुमार शुक्ला, अभिषेक पाण्डेय, परमात्मा प्रसाद, संतोष कुमार सिंह, मुरली मनोहर शुक्ला, ईश्वर चंद, अनिल अंबिकेश्वर दत्त ओझा, कौस्तुभ मिश्रा, आशीष कुमार शुक्ला, अजय चौहान, मानस त्रिपाठी, मुकुल शंकर, श्रीमती पूनम ओझा, अनुपमा ओझा, सर्वेश यादव, ध्रुव चंद्र यादव, आयुष ओझा, सूरज कुमार, अजय कुमार, शिवम सिंह, शाश्वत दुबे, गौरव शुक्ला, आशुतोष, अजीत पाण्डेय, संजय ओझा, कृष्ण कुमार, सौरभ श्रीवास्तव, मनीष श्रीवास्तव, विवेक सिंह, अंसार अली, इंद्रपाल सिंह, जयप्रकाश मिश्रा, आशुतोष ओझा, मयंक शुक्ला, कनक जीत पाण्डेय, अभिषेक शुक्ला, पंकज कुमार, विकास तिवारी, सर्वेश त्रिपाठी, पंकज मिश्रा, श्रीकांत दुबे, शशांक पाण्डेय, अजीत श्रीवास्तव श्वेतांक दुबे, शिवांग शुक्ला, रवि चौबे, नंदीश्वर दत्त ओझा, दिव्यांश खरे, अनूप खरे, नितेश कुमार, दीपक यादव, अवनीश मिश्रा, आदित्य प्रकाश, आदर्श उपाध्याय, आर्यन वर्मा, अमर शुक्ला, ऋषभ, मोहम्मद वासिफ, गंगा नाथ ओझा, आनंद गुप्ता, कमलेश यादव, अनिल कुमार श्रीवास्तव, रिया शुक्ला, अंकित शुक्ला, निमिष द्विवेदी, प्रदीप त्रिपाठी, अजय कुमार चौधरी, संतोष शुक्ला, अभिषेक शुक्ला, रतन सोनी, प्रियंक शुक्ला, दिनेश त्रिपाठी, धर्मेंद्र सोनकर, उत्कर्ष उपाध्याय, अमोद कुमार शुक्ला, अनिरुद्ध पाण्डेय, धर्मेंद्र कुमार, विजेंद्र कुमार, रवि शंकर दुबे, हर्ष गुप्ता सहित कुल 166 लोगों ने रक्तदान किया ।

स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा की स्मृति में आयोजित रक्तदान शिविर को सम्पन्न कराने में मेडिकल कालेज, जिला चिकित्सालय और बस्ती चैरीटेबल ब्लड बैंक, सेवा बलड बैंक के चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों के साथ ही रवि चौबे, विवेक प्रकाश सिंह, धर्मेन्द्र सोनकर, विक्रम सिंह कौशिक, संजय ओझा, अम्बिकेश्वर दत्त ओझा, अवधेश मुकेश, डी.पी. यादव, विजय कुमार शुक्ला, जितेन्द्र के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने योगदान दिया।

समाजवादियों ने वीरांगना फूलनदेवी को किया नमन्: योगदान पर चर्चा

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती । समाजवादी पार्टी द्वारा पूर्व सांसद वीरांगना फूलनदेवी को उनके पुण्य तिथि पर याद किया गया। सपा जिलाध्यक्ष एवं बस्ती सदर विधायक महेन्द्रनाथ यादव के संयोजन में पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं ने फूलनदेवी के चित्र पर पुष्पार्चन करने के साथ ही उनके योगदान पर चर्चा करते हुये नमन् किया।

सपा जिलाध्यक्ष एवं बस्ती सदर विधायक महेन्द्रनाथ यादव ने कहा कि फूलन देवी की कहानी समाज के पिछड़े, वंचित और दलित समाज के संघर्ष का इतिहास है। परिस्थितियों ने उन्हें डकैत बनने को मजबूर कर दिया और बेहमई जैसा काण्ड हुआ। सपा ने उन्हें अवसर देकर सांसद बनाया किन्तु नियति ने उन्हें हमसे छीन लिया। उनका योगदान सदैव याद किया जायेगा। 25 जुलाई के दिन दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

पूर्व विधायक राजमणि पाण्डेय, विधायक कविन्द्र चौधरी 'अतुल, दयाशंकर मिश्र, आर.डी. निषाद, धीरसेन निषाद, रविकान्त निषाद, मो. सलीम, गुलाब सोनकर, जावेद पिण्डारी, मो. स्वालेह आदि ने कहा कि फूलन देवी का संघर्ष नारी शक्ति एवं सामाजिक न्याय का प्रतीक बन गया। वंचित समाज की महिला के साथ प्रभुत्ववादी ताकतों ने जो जघन्य अत्याचार और अपमान किया उससे उन्हें बागी का जीवन जीना पड़ा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को सांसद का टिकट दिया। मीरजापुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने अपार समर्थन से वे वर्ष 1996 में सांसद बनकर देश के उच्च सदन में पीड़ित, उपेक्षित, बेसहारा समाज की आवाज बनकर उभरीं।

पूर्व सांसद वीरांगना फूलनदेवी को नमन् करने वालों में मुख्य रूप से कक्कू शुक्ल, अरविन्द सोनकर, भोला पाण्डेय, प्रशान्त यादव, अरविन्द यादव, रन बहादुर यादव, मो. उमर, बदलू हसन, रजवन्त यादव, अकबर अली, मधुबन यादव, आमिश खान, मो. युनूस आलम, अखिलेश यादव, दीपक आर्या, दिनेश तिवारी, बब्लू निषाद, राम सिंह यादव, अशोक कुमार यादव, हरेश्याम विश्वकर्मा, वीरेन्द्र यादव, आर.डी. गोस्वामी, राजेन्द्र चौरसिया, राजाराम यादव, जोखूलाल यादव, देवनाथ यादव, तूफानी यादव आदि शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में सपा विधायक आलमबदी आजमी के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुये श्रद्धांजलि अर्पित किया गया।

“मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता”–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 26 जुलाई 2026 रविवार

सम्पादकीय

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का त्याग पत्र

देश की राजधानी जन्तर मन्तर पर एक महीने से अधिक समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधान के इस्तीफे पर जहां कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) खुशी से झूम रही है तो विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र की जीत और सरकार के लिए 'पहली हार' करार दिया है। देश को कुछ नए आंदोलनकारी चेहरे मिल गए हैं तो सोशल मीडिया और 'जेन जी' ने अपनी ताकत के साथ क्रांति के नए तौर–तरीके भी पेश किए।

धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए एक खुला खत भी देश के युवाओं के नाम लिखा। इसमें उन्होंने जंतर–मंतर पर चल रहे आंदोलन का जिक्र किया और कहा कि पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम को देखकर उनका मन दुखी था और यह उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं। भारत की युवा शक्ति को देश की असली ताकत बताते हुए प्रधान ने कहा, 'जंतर–मंतर पर देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें,इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है।

कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के 12 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब जनता के आक्रोश की वजह से किसी मंत्री को इस तरह कुर्सी छोड़ना पड़ा है। हालांकि, इससे पहले सोशल मीडिया पर चले 'मीटू आंदोलन' के समय अक्टूबर 2018 में एमजे अकबर ने विदेश राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन उनके इस्तीफे के लिए सरकार पर इस तरह का दबाव नहीं बनाया गया था। कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से 20 जून को शुरू किए गए आंदोलन शुरुआत में भले ही भीड़ जुटाने में कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन 18 जून को सोनम वांगचुक को जंतर–मंतर से क्या उठाया गया, आंदोलन ही उठ खड़ा हुआ। 7 दिनों में जिस तरह आंदोलन के प्रति युवाओं में समर्थन उमड़ा उसने पूरी तस्वीर बदल दी। सरकार ऐसे दोराहे पर खड़ी थी जहां एक तरफ उसकी प्रतिष्ठा दांव पर थी, तो दूसरी तरफ देश के वो युवा, जिन्हें बहुत नाराज करने का जोखिम लेना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं था।

ऐसे में एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह मोदी सरकार की हार है? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) जैसे दलों ने इसे मोदी सरकार की हार करार दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसे सरकार की संवेदनशीलता के तौर पर पेश कर रहे हैं। हालांकि, सवाल यह भी उठता है कि सरकार को युवाओं की आवाज सुनने में इतना वक्त क्यों लगा?

माना जा रहा है कि सरकार ने काफी सोच और विचार–विमर्श के बाद प्रधान का इस्तीफा लिया है। असल में यह मोदी सरकार के लिए तात्कालिक झटका जरूर है, लेकिन राजनीति में अक्सर फैसले दूरगामी नतीजों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। समझा जा रहा है कि मोदी सरकार ने ऐसे ही नफा–नुकसान को तौलकर यह फैसला लिया है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि अगले साल उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में चुनाव है। ऐसे में युवाओं की नाराजगी को बढ़ाना उचित नहीं था। बताया जा रहा है कि सरकार ने युवाओं को यह संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार उनकी आवाज को सुनती है और उनके भविष्य को लेकर कठोर फैसले करने से नहीं कतराएगी।

माना जा रहा है कि सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर संसद को सुचारू रूप से चलाने का रास्ता भी साफ कर दिया है। कांग्रेस पार्टी 'पहले इस्तीफा फिर चर्चा' की मांग पर अड़ गई थी। सरकार इसी सत्र में पेपर लीक के खिलाफ कानून में सख्त प्रावधान करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा शुक्रवार को कैबिनेट ने एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी जिसमें प्रश्नपत्र लीक के लिए 10 साल जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। सरकार की कोशिश अपनी छवि बदलकर युवाओं को उसी तरह भाजपा से जोड़ना होगी, जिनके दम पर वह पिछले डेढ़ दशक में एक के बाद एक चुनावों में जीत हासिल करती रही है।

मौजूदा घटनाक्रम का विपक्ष कितना फायदा उठा पाएगी, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। वर्षों से विपक्ष का विरोध सोशल मीडिया तक सीमित हो गया था, लेकिन युवाओं के आंदोलन के बाद ही सही लेकिन जिस तरह कई विपक्षी दलों ने सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया, उसने उनके काडर में एक नया जोश जरूर जगाया होगा। मई की शुरुआत तक जिस अभिजीत दीपके का नाम देश के लोगों ने सुना नहीं था और जो अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश में जुटे थे, वह युवाओं के नए नायक के तौर पर उभरे हैं। वहीं, 26 दिनों तक अनशन करके सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गांधीवादी आंदोलनकारी के रूप में अपनी राष्ट्रीय पहचान हासिल की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये आंदोलनकारी भविष्य में किन और मुद्दों को उठाते हैं।

इस सरकार में यह लोक लाज का पहला उदाहरण है कि जनता के दबाव में ही सही और विपक्ष के दबाव में ही सही, सरकार ने इस मुद्दे को माना और प्रधान का इस्तीफा हुआ। अगर किसान आंदोलन के दबाव में कानून वापस हुए थे, तो वो भी स्वागत योग्य है। यह सरकार की हार नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की जीत है। अब ऐसा समाधान निकले की फुलप्रूफ व्यवस्था बने। सरकार को विशेषज्ञ समिति बनानी चाहिए और उसकी सिफारिशों पर काम करना चाहिए। सरकार और विपक्ष इसे अब नाक का सवाल न बनाए। जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करना जरूरी होता है। सरकार ने इस बात को माना। बात सिर्फ नीट परीक्षा की नहीं है। पहले भी ऐसे मामले हुए। सरकार पहले मना करती रही, फिर स्वीकार करती रही। देशभर में एक लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। ये सब भी बड़े मुद्दे हैं। अच्छा हो कि सरकार युवाओं, छात्रों की भावनाओं को समझे और समस्याओं का प्रभावी हल निकाले। इसे हार–जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे से क्या हासिल

– डॉ. सत्यवान सौरभ–

भारत की शिक्षा व्यवस्था आज जिस मोड़ पर खड़ी है, वहाँ समस्या किसी एक व्यक्ति या किसी एक मंत्रालय तक सीमित नहीं है। यह एक बहुस्तरीय संकट है, जिसमें नीतिगत अस्पष्टता, कार्यान्वयन की कमजोरी, संसाधनों की कमी, शिक्षक–प्रशिक्षण की चुनौती, परीक्षा–केंद्रित सोच और सामाजिक–आर्थिक असमानताएं एक साथ मौजूद हैं। इसलिए जब यह सवाल उठता है कि क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी, तो इसका उत्तर केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि संस्थागत और संरचनात्मक भी होना चाहिए। सच यह है कि केवल मंत्री बदल देने से शिक्षा व्यवस्था अपने–आप नहीं सुधरती सुधार तब होता है जब नीति, नीयत, निवेश और निष्पादन, चारों एक दिशा में काम करें।

भारत में शिक्षा को लंबे समय से "नीति" से अधिक "घोषणा" के स्तर पर देखा गया है। हर सरकार शिक्षा सुधार की बात करती है, लेकिन जमीन पर परिवर्तन की गति बहुत धीमी रहती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत की शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा देने का वादा किया था: समग्र शिक्षा, मातृभाषा आधारित प्रारंभिक शिक्षा, कौशल–विकास, बहुविषयी अध्ययन, डिजिटल लर्निंग और शोध–उन्मुख उच्च शिक्षा। कागज पर यह नीति अत्यंत महत्त्वाकांक्षी है। परंतु महत्त्वाकांक्षा और प्रभावी क्रियान्वयन के बीच अक्सर बहुत बड़ा अंतर रह जाता है। यही वह अंतर है, जहाँ किसी भी शिक्षा मंत्री की असली परीक्षा होती है।

धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने, बहुभाषी शिक्षा पर बल देने, कौशल विकास को प्राथमिकता देने, डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहन देने और उच्च शिक्षा को अधिक लचीला बनाने की दिशा में कदम उठाए। यह कहना गलत होगा कि उनके कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। बहुत–सी योजनाएँ आगे बढ़ीं, संवाद बढ़ा, और शिक्षा पर राष्ट्रीय बहस तेज हुई। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था की मूल समस्याएँ जस की तस बनी रहीं। सरकारी विद्यालयों में गुणवत्ता का अंतर, ग्रामीण–शहरी असमानता, शिक्षकों की कमी, परीक्षा–प्रधान संस्कृति, और कोचिंग–निर्भरता ये सभी समस्याएँ अब भी गहरी हैं।

इसी संदर्भ में यह समझना आवश्यक है कि शिक्षा मंत्री की भूमिका क्या होती है। शिक्षा मंत्री न तो अकेले स्कूलों की गुणवत्ता सुधार सकता है, न ही विश्वविद्यालयों की शोध–क्षमता बढ़ा सकता है, और न ही एक झटके में करोड़ों विद्यार्थियों की सीखने की स्थिति बदल सकता है। उसकी भूमिका मुख्यतः नीति–निर्माण, समन्वय, बजट प्राथमिकता, संस्थागत निगरानी और राज्यों के साथ सहयोग की होती है। यदि ये पाँचों काम बेहतर हों तो शिक्षा में सुधार की संभावना बढ़ती है। लेकिन यदि केवल चेहरा बदल दिया जाए और नीतिगत ढाँचा वही रहे, तो परिणाम सीमित ही रहेंगे।

भारत की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह बराबरी का अवसर नहीं दे पाती। एक ओर महानगरों के निजी स्कूल और महंगे संस्थान हैं, जहाँ सुविधाएँ और अवसर अपेक्षाकृत अधिक हैं; दूसरी ओर सरकारी स्कूल और दूरस्थ ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ बुनियादी ढाँचे, प्रशिक्षित शिक्षकों और डिजिटल संसाधनों की भारी कमी है। इस असमानता को कोई एक मंत्री, चाहे वह धर्मेंद्र प्रधान हों या कोई और, अकेले समाप्त नहीं कर सकता। इसके लिए लंबे समय तक चलने वाली राज्य–नीति, केंद्र–राज्य समन्वय और सामाजिक निवेश की आवश्यकता होती है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत में शिक्षा सुधार का प्रश्न सिर्फ प्रशासनिक नहीं, वैचारिक भी है। दशकों से हमारी शिक्षा प्रणाली परीक्षा पास कराने वाली मशीन के रूप में देखी जाती रही है, न कि सोच विकसित करने वाले माध्यम के रूप में। रटंत शिक्षा ने विद्यार्थियों की रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और समस्या–समाधान क्षमता को सीमित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस प्रवृत्ति को बदलना चाहती है, लेकिन बदलाव केवल दस्तावेजों से नहीं आता। इसके लिए पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, शिक्षक–प्रशिक्षण और कक्षा–स्तरीय व्यवहार में परिवर्तन चाहिए। यही वह बिंदु है जहाँ सुधारों का वास्तविक परीक्षण होता है।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने वालों का तर्क यह हो सकता है कि नेतृत्व परिवर्तन से जवाबदेही बढ़ती है और नई ऊर्जा आती है। यह तर्क आंशिक रूप से सही भी है। किसी भी मंत्रालय में नेतृत्व की शैली, प्राथमिकताएँ और कार्य–संस्कृति महत्वपूर्ण होती हैं। यदि किसी मंत्री के कार्यकाल में संवाद कमजोर हो, नीतियों के परिणाम धीमे हों, या जमीनी स्तर की शिकायतों पर अपेक्षित ध्यान न दिया जाए, तो बदलाव की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन यहाँ भी प्रश्न यही है कि क्या बदलाव व्यक्ति में चाहिए या व्यवस्था में। यदि सिस्टम ही कमजोर हो, तो नया मंत्री भी उसी ढाँचे में काम करेगा। इसलिए इस्तीफा केवल राजनीतिक प्रतीक बन सकता है, समाधान नहीं।

सच यह है कि शिक्षा सुधार की असली कुंजी बजट और क्रियान्वयन में छिपी है। भारत की शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश लंबे समय से अपेक्षाकृत कम रहा है। कई बार घोषणाएँ बड़ी होती हैं, लेकिन विद्यालयों की मरम्मत, प्रयोगशालाओं की स्थापना, पुस्तकालयों का विकास, छात्रवृत्ति वितरण, शिक्षक नियुक्तियाँ और डिजिटल पहुँच जैसे मूलभूत मुद्दे पीछे रह जाते हैं। यदि सरकार शिक्षा को वास्तव में प्राथमिकता देना चाहती है, तो उसे केवल नीति दस्तावेज नहीं, बल्कि वित्तीय प्रतिबद्धता भी बढ़ानी होगी। शिक्षा वह क्षेत्र है, जहाँ खर्च को बोझ नहीं, निवेश मानना चाहिए।

शिक्षक इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ हैं। लेकिन भारत में शिक्षकों की स्थिति खुद संकटग्रस्त है। कई स्कूलों में शिक्षक–रिक्तियाँ हैं, कई जगह एक शिक्षक पर अनेक कक्षाओं का बोझ है, और कई संस्थानों में शिक्षक–प्रशिक्षण पुराना और अप्रासंगिक है। जब तक शिक्षक सक्षम, सम्मानित और प्रशिक्षित नहीं होंगे, तब तक कोई भी शिक्षा सुधार सीमित रहेगा। मंत्री बदलने से यह समस्या समाप्त नहीं होगी। इसके लिए सेवा–शर्तों में सुधार, प्रशिक्षण में गुणवत्ता, और शिक्षकीय पेशे को प्रतिष्ठा देने की जरूरत है।

डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन उनकी सीमाएँ भी सामने आईं। महामारी के दौरान डिजिटल लर्निंग की उपयोगिता स्पष्ट हुई, पर यह भी उजागर हुआ कि देश के बड़े हिस्से में इंटरनेट, उपकरण और डिजिटल साक्षरता की भारी कमी है। अब डिजिटल शिक्षा को केवल गैजेट आधारित नीति नहीं, बल्कि समावेशी नीति बनाना होगा। इसका अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी, कम लागत वाले उपकरण, स्थानीय भाषाओं में सामग्री, और शिक्षकों को तकनीक के लिए तैयार करना। केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना देने से शिक्षा आधुनिक नहीं हो जाती।

उच्च शिक्षा की बात करें तो भारत में शोध, नवाचार और अकादमिक स्वायत्तता अभी भी कई चुनौतियों से घिरी है। विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम पुराना पड़ जाता है, शोध–फंड सीमित रहता है, और प्रशासनिक हस्तक्षेप अकादमिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। यदि शिक्षा मंत्री बदलने से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, अनुसंधान का वातावरण, और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सुधार आता है, तभी उसका सकारात्मक अर्थ होगा। अन्यथा केवल राजनीतिक बयानबाजी से बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता।

यह भी आवश्यक है कि हम शिक्षा सुधार को चुनावी बहस की तरह न देखें। शिक्षा एक लंबी प्रक्रिया है, जिसका परिणाम अगले दिन नहीं दिखता। किसी भी सरकार के लिए यह आसान होता है कि वह नई नीति की घोषणा कर दे, लेकिन मुश्किल यह है कि उसे दस साल तक निरंतर लागू करे। यहाँ निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हर मंत्री पिछली नीति को पूरी तरह बदलने लगे, तो शिक्षा व्यवस्था स्थिर नहीं रह पाएगी। इसलिए सही प्रश्न यह नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान जाएँ या रहें; सही प्रश्न यह है कि क्या कोई भी नेतृत्व शिक्षा को दीर्घकालिक राष्ट्रीय परियोजना की तरह देख रहा है।

भारत के लिए शिक्षा का अर्थ केवल रोजगार नहीं, नागरिकता भी है। एक शिक्षित समाज लोकतंत्र को मजबूत करता है, वैज्ञानिक सोच को बढ़ाता है, सामाजिक विषमता को चुनौती देता है और महिलाओं तथा वंचित समुदायों के लिए नए अवसर खोलता है। इसलिए शिक्षा सुधार को केवल सरकारी विभाग की प्रशासनिक उपलब्धि मानना गलत होगा। यह राष्ट्र–निर्माण की प्रक्रिया है। यदि इस प्रक्रिया में राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता और सामाजिक सहयोग है, तो बदलाव संभव है। वरना नेतृत्व परिवर्तन भी एक औपचारिकता भर बन जाएगा।

अंततः निष्कर्ष साफ है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था अपने–आप नहीं सुधरेगी। हाँ, यदि उनके स्थान पर आने वाला नेतृत्व अधिक संवेदनशील, अधिक जवाबदेह और अधिक परिणामोन्मुख हुआ, तो सुधार की गति बेहतर हो सकती है। लेकिन मूल सुधार मंत्री के जाने से नहीं, व्यवस्था के बदलने से आएगा। भारत की शिक्षा प्रणाली को चाहिए स्थायी नीति, पर्याप्त धन, प्रशिक्षित शिक्षक, डिजिटल समावेशन, शोध–संस्कृति और सामाजिक समानता। यही वे आधार हैं, जिन पर वास्तविक सुधार खड़ा हो सकता है। चेहरा बदलना आसान है; व्यवस्था बदलना कठिन। और भारत की शिक्षा व्यवस्था को अब आसान नहीं, कठिन और ईमानदार सुधार की आवश्यकता है।

प्रतिशोध का माध्यम बनते कार्यस्थल

डा. रितू सारस्वत

प्रश्न केवल वैवाहिक विवादों का नहीं, बल्कि उस सामाजिक मर्यादा का है जो न्याय और प्रतिशोध के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखती है। यदि निजी संघर्ष सार्वजनिक प्रतिष्ठा को नष्ट करने का माध्यम बनने लगें, तो यह केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सभ्यता की परीक्षा बन जाता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक विवादों के एक चिंताजनक पक्ष पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना एवं न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वैवाहिक विवादों के दौरान पति या पत्नी द्वारा एक–दूसरे के नियोक्ता अथवा वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत–पत्र भेजने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। न्यायालय ने कहा कि ऐसी शिकायतों के परिणामस्वरूप कई बार संबंधित व्यक्ति की नौकरी चली जाती है या उसका सेवा–जीवन गंभीर रूप से प्रभावित होता है। न्यायालय के अनुसार, तलाक का मुकदमा लड़ना एक अलग बात है, किंतु किसी व्यक्ति की आजीविका और पेशेवर प्रतिष्ठा को संकट में डाल देना कहीं अधिक गंभीर है। यदि किसी व्यक्ति की नौकरी ही समाप्त हो जाए, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव भरण–पोषण (मेंटेनेंस) जैसे वैधानिक दायित्वों पर भी पड़ सकता है। पिछले पांच दशकों में विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक अवसरों पर यह स्पष्ट किया है कि वैवाहिक विवादों के दौरान पति या पत्नी द्वारा एक–दूसरे के नियोक्ता अथवा वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अप्रमाणित अथवा मानहानिकारक शिकायतें करना केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध का माध्यम नहीं है, बल्कि इससे संबंधित व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सेवा–जीवन और आजीविका पर भी गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। न्यायालयों ने समय–समय पर ऐसे आचरण को मानसिक क्रूरता के दृष्टिकोण से परखा है तथा परिस्थितियों के अनुसार इसे वैवाहिक संबंध–विच्छेद का आधार भी माना है। इस संबंध में सबसे प्रारंभिक और उल्लेखनीय निर्णयों में से एक 'शकुंतला कुमारी बनाम ओम प्रकाश घई' (दिल्ली उच्च न्यायालय, 1980) का है।

इस मामले में अलग रह रही पत्नी ने लोकसभा सचिवालय, जहां उसका पति कार्यरत था, को पत्र लिखकर उस पर दुर्व्यवहार तथा अन्य गंभीर आरोप लगाए। न्यायालय ने पाया कि यदि पत्नी का उद्देश्य केवल भरण–पोषण प्राप्त करना था, तो उसके लिए यह कहना पर्याप्त था कि उसे भरण–पोषण नहीं मिल रहा है। इसके लिए पति तथा उसके परिवार के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं थी। न्यायालय ने इस प्रकार की शिकायतों के प्रभाव पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'नियोक्ता के समक्ष इस प्रकार की असत्य शिकायत करना निस्संदेह मानसिक क्रूरता है। इससे कर्मचारी की अपने नियोक्ता की दृष्टि में प्रतिष्ठा धूमिल होती है तथा उसके सेवा–जीवन और पदोन्नति की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका उसके मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और उसकी मानसिक शांति भंग होती है।'

प्रश्न केवल इतना नहीं है कि न्यायालयों ने इस प्रकार के आचरण को मानसिक क्रूरता क्यों माना। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि व्यक्तिगत संबंधों में उत्पन्न विवाद किस प्रकार उस सीमा तक पहुंच जाते हैं, जहां व्यक्ति न्याय की अपेक्षा दूसरे को अधिकतम क्षति पहुंचाने का माध्यम खोजने लगता है। जब संघर्ष का उद्देश्य समाधान के स्थान पर दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा, आजीविका अथवा पेशेवर जीवन को प्रभावित करना बन जाए, तब यह केवल वैवाहिक विवाद नहीं रह जाता, बल्कि मानवीय संबंधों के नैतिक पतन का भी संकेत देता है।

इसी संदर्भ में रॉबर्ट होगन का 'सामाजिक–विश्लेषणात्मक सिद्धांत' महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। उनके अनुसार व्यक्ति केवल अपनी एक पहचान नहीं बनाता, बल्कि समाज भी उसके व्यवहार और कार्य के आधार पर उसके प्रति एक धारणा विकसित करता है। यही धारणा समय के साथ उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार बनती है। इसलिए जब व्यक्तिगत संबंधों का संघर्ष किसी व्यक्ति की पेशेवर प्रतिष्ठा को लक्ष्य बनाता है, तो उसका प्रभाव केवल वर्तमान विवाद तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वर्षों में अर्जित विश्वास और सामाजिक स्वीकार्यता पर भी पड़ता है।

ऐसी परिस्थितियों में सबसे बड़ी विडंबना यह होती है कि आरोपों की सत्यता का परीक्षण बहुत बाद में होता है, जबकि उनके आधार पर बनने वाली सामाजिक धारणा तत्काल अपना प्रभाव छोड़ने लगती है। कार्यस्थल पर पहुंचा व्यक्तिगत विवाद व्यक्ति को ऐसी स्थिति में खड़ा कर देता है, जहां उसे उन घटनाओं के लिए भी संकोच, असहजता और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है जिनका उसके पेशेवर दायित्वों से कोई संबंध नहीं होता। वह स्वयं को असहाय अनुभव करता है, क्योंकि एक ओर न्यायिक प्रक्रिया अपनी गति से चल रही होती है, वहीं दूसरी ओर उसके सहकर्मी, वरिष्ठ अधिकारी और सामाजिक परिवेश उसके बारे में अपनी–अपनी धारणाएं बनाने लगते हैं। यही कारण है कि ऐसी शिकायतों का प्रभाव केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी पड़ता है।

बलूचिस्तान में स्वघोषित आजादी के प्रश्न

–प्रमोद भार्गव–

रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से सोशल मीडिया पर एक स्वघोषित बयान और पत्र वायरल हुए हैं, जिसमें बलूच नेता मीर यार बलूच और कुछ पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ रहे संगठनों ने बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है। अपना नया झंडा और राष्ट्रगान जारी करते हुए सरकार बना लेने का दावा भी किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के लड़ाकों ने 27 पुलिसकर्मियों का अपहरण कर हत्या कर दी है। इससे बलूच आंदोलन उत्साहित हुआ है और वे जल्द कानूनी रूप में आजादी मिल जाने की उम्मीद करने लगे हैं। हालांकि इस हत्याकांड के बाद पाक सेना ने बलूचिस्तान में फ्रंटियर कोर, पुलिस व आतंकवाद निरोधक बल के साथ ऑपरेशन शाबान शुरू कर दिया है। पाक के सामने अब बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि बीएलए को इजरायली खुफिया एजेंसियों से धन, तकनीक और आधुनिक संचार उपकरण मिल रहे हैं। पाक सेना ने लड़ाकों के पास से स्टारलिंक उपकरण जब्त किए हैं। पाक सेना का यह भी आरोप है कि अफगानिस्तान बीएलए को विद्रोही बलूचों ने करीब 85 प्रतिशत बलूचिस्तान की भूमि पर काबिज होने का दावा किया है। बलूच कार्यकर्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की अपील भी कर दी है। यह पाकिस्तान का वह प्रमुख क्षेत्र है, जहां से चीन–पाक आर्थिक गलियारा गुजर रहा है। इसकी सुरक्षा और भविष्य को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। यही वह क्षेत्र है, जहां अत्यंत दुर्लभ खनिज एवं प्राकृतिक गैस उपलब्ध हैं। यही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। बलूचिस्तान प्रांत में लंबे समय से स्वतंत्रता की जो लड़ाई चल रही है, वह अब सफलता के शिखर पर है। बलूचिस्तान को नए देश के रूप में मान्यता मिल जाती है तो 1971 के बाद पाकिस्तान की भूमि पर दूसरा बड़ा विभाजन दिखाई देगा। 1971 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना को सैनिक मदद देकर पाक के दो टुकड़े कर दिए थे। अब बलूच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग करते हुए दिल्ली में बलूचिस्तान का दूतावास खोलने की मांग कर रहे हैं।

प्रसिद्ध लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता मीर यार बलूच बलूच लोगों के अधिकारों की वकालत के लिए जाने जाते हैं। बलूचों ने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान में शांति रक्षक बल भेजने और पाक सेना को बलूच सीमा क्षेत्र से बाहर कर देने का आग्रह भी किया है। यदि बलूच स्वतंत्र देश बन जाता है तो भारत–पाक युद्ध के बीच 1971 की तरह एक युगांतरकारी घटना देखने को मिलेगी, जिसमें बलूचों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव में भारत भी भागीदार हो सकता है। बलूचों की स्वतंत्रता की संभावना का अहसास पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने भी जताया है। उनका कहना है कि बलूचिस्तान पर अब सेना और सरकार का नियंत्रण ढीला पड़ रहा है। यहां के हालात इतने खराब हैं कि सरकारी मंत्री तक बाहरी सुरक्षा के बिना बाहर नहीं निकल सकते हैं। सेना के जवान अपने ही देश में बंकरों में छिपे हैं।

बलूचिस्तान में विद्रोह की आग चरम पर है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आजादी की मांग करने वाला सबसे पुराना सशस्त्र अलगाववादी संगठन है। यह संगठन पहली बार 1970 में अस्तित्व में आया था। इसने जुल्फिकार अली भुट्टो के कार्यकाल में बलूचिस्तान प्रांत में सशस्त्र विद्रोह का शंखनाद किया था। कालांतर में सैनिक तानाशाह जिया–उल–हक द्वारा सत्ता हथियाने के बाद बलूच नेताओं के साथ बातचीत हुई, जिसके परिणामस्वरूप संघर्षविराम की स्थिति बन गई थी। नतीजतन बलूचिस्तान में सशस्त्र विद्रोह खत्म हो गया था और बीएलए का भी कोई वजूद नहीं रह गया था। किंतु कारगिल युद्ध के बाद सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्तापलट कर सत्ता हथिया ली। इसके बाद मुशर्रफ के संकेत पर साल 2000 में बलूचिस्तान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नवाब मिरी की हत्या कर दी गई और मुशर्रफ ने कुटिल चतुराई बरतते हुए पाक सेना से इस मामले में आरोपी के रूप में बलूच नेता खेरबख्श मिरी को गिरफ्तार करा दिया। इसके बाद फीनिक्स पक्षी की तरह बीएलए फिर उठ खड़ा हुआ। जगह–जगह हमले शुरू हो गए। साल 2020 में एकाएक बीएलए की ताकत बढ़ गई और बलूचिस्तान के सरकारी प्रतिष्ठानों तथा सुरक्षाबलों पर हमलों की संख्या बढ़ती चली गई।

बीएलए बलूचिस्तान में चीन के प्रभाव को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करता है। उसका मानना है कि चीन बलूचिस्तान की प्राकृतिक संपदा को हड़पने का काम कर रहा है। इसी नजरिए से ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने के साथ एक बड़ा चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी बना रहा है। दरअसल भारत–पाकिस्तान के बंटवारे के समय बलूचिस्तान को बलूचों की इच्छा के बिना बंदूक के जोर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। जबकि वे स्वयं को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहते थे। अतः पाक की स्वतंत्रता के समय से ही बलूचों का संघर्ष पाक सरकार और सेना से निरंतर बना हुआ है।

पांच आधार कार्ड के साथ वारिस पंजाब दे का सदस्य जोगा गिरफ्तार

संवाददाता–बहराइच। शनिवार को रुपईडीहा थाने की पुलिस ने वारिस पंजाब दे के सक्रिय सदस्य जोगा सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के मुताबिक जोगा सिंह अवैध घुसपैठ करने वालों की मदद कर रहा था। पुलिस ने उसे रुपईडीहा से गिरफ्तार करने की बात कही है हालांकि पूरनपुर पीलीभीत में भी दबिश देने पुलिस गई थी। रुपईडीहा के एसएचओ हरेंद्र कुमार मिश्र, अपराध निरीक्षक गणेश तिवारी, एसआई सर्वेश चंद, का. सोविन्द्र यादव ने उसे गिरफ्तार किया है। 66 वर्षीय जोगा सिंह पुत्र अर्जन सिंह निवासी आयशर एजेंसी, नंदपुर सोनवाल लुधियाना पंजाब का निवासी है। वह इस समय ग्राम मोनापर जब्ती हेमेपाशा हरगोविंद राय थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत में रह रहा है। पुलिस के मुताबिक 31 हजार रुपए, पांच आधार कार्ड, तीन ड्राइविंग लाइसेंस, 2 पैन कार्ड व 1 मोबाइल बरामद हुआ है। जोगा सिंह पर थाना मेहतियाना जिला होशियारपुर पंजाब में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पुलिस के मुताबिक आप्रवास एवं विदेशी अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कर भेज दिया गया है।

दर असल मार्च के अंतिम सप्ताह में जोगा पूरनपुर से पंजाब गया था। हाल में ही वह पूरनपुर आया है। एटीएस व अन्य खुफिया ऐजेंसियों को पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजस्थान, दिल्ली,पीलीभीत में अब इनके स्लीपर सेल, इनके सुरक्षित छिपने के ठौर हाइड हाउस की तो तलाश है ही, उन मददगारों की तलाश है। जो आर्थिक रूप से कमजोर है। भारत नेपाल की खुली सरहद पर छिटपुट जरायम करते हैं।

देश में प्रतिबंधित संगठन वारिस पंजाब दे का नेटवर्क राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली से निकलकर नेपाल की राजधानी काठमांडू तक पहुंच गया। एटीएस इस पूरे नेटवर्क को तलाश रही। यूपी एटीएस व अन्य खुफिया एजेंसियां इसके स्लीपर सेल, सेफ हाइड हाउस ही नहीं आर्थिक रूप से कमजोर उन मददगारों की टोह में जुटी है। जो इनके लिए मददगार साबित हो रहे हैं। 29 सितम्बर 2021 में पंजाब में वजूद में आए वारिस पंजाब दे के कमांडर इन चीफ अमृत पाल सिंह का विक्रमजीत सिंह दाहिना हाथ माना जा रहा है। उसी की शह पर पंजाब में इसने घटना को अंजाब दिया था। खुफिया एजेंसी विक्रमजीत सिंह के करीबी शरणदाताओं को रडार पर लिए है। साथ ही अमेरिकन अप्रवासी मनवीर सिंह ढिल्लों की बीच सम्बंधों की पड़ताल कर रही। रूपईडीहा पुलिस व एसएसबी के सूत्रों के मुताबिक भारत नेपाल की खुली सरहद से ऐसे भारत विरोधी तत्वों को लाभ मिल रहा है। पीलीभीत जिले के पूरनपुर से एटीएस व पुलिस टीम ने विक्रम जीत व मनवीर के मददगार जोगा सिंह उठा लाई। घुसपैठ कर रहा विक्रमजीत सिंह तीन जगहों पर छिपकर रह रहा था। सुरक्षा एजेसियों की कई टीमों ने आरोपियों के शरणदाताओं की धरपकड़ शुरू की है। माना जा रहा है कि अभी कईजगहों से गिरफ्तारी हो सकती है।

शिक्षामित्रों की लंबित समस्याओं के समाधान की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा गया ज्ञापन

संवाददाता–कुशीनगर। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने अपनी विभिन्न लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ज्ञापन भेजा है। संघ का कहना है कि प्रदेश के हजारों शिक्षामित्र पिछले 26 वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी भी कई महत्वपूर्ण सुविधाओं और अधिकारों से वंचित रहना पड़ रहा है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सरकार द्वारा शिक्षामित्रों के हित में कई आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि, कुछ जिलों में शिक्षामित्रों के समायोजन और स्थानांतरण की प्रक्रियाएं अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाई हैं। इसके परिणामस्वरूप, कई शिक्षामित्रों को अपने निवास स्थान से 80 से 90 किलोमीटर दूर स्थित विद्यालयों में सेवाएं देनी पड़ रही हैं, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संघ ने मुख्यमंत्री से कई प्रमुख मांगें की हैं। इनमें शिक्षामित्रों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी/सीटीईटी) में विशेष छूट देकर समायोजन का अवसर प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने, 11 माह के बजाय पूरे 12 माह का मानदेय देने और बेसिक स्कूलों में आयोजित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षामित्रों को भी शामिल करने की मांग की गई है। अन्य मांगों में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शिक्षामित्रों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है। साथ ही, सेवा के दौरान असामयिक निधन होने पर उनके आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता और योग्यता के अनुसार एक सदस्य को रोजगार देने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष कैलाश जायसवाल ने कहा कि शिक्षामित्र लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि उनकी लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए, ताकि शिक्षामित्र सम्मानपूर्वक और पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

बेटे को ट्रक से बचाने दौड़ी मां भी डंपर की चपेट में आई, दोनों की मौत

संवाददाता–गोण्डा। भीषण सड़क हादसे में एक मां–बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। महिला की मांत की मौत के बाद दोनों उनकी तेरहवीं से वापस घर लौटने के लिए सड़क पर खड़े थे। बताया जा रहा है कि कौड़िया थाना क्षेत्र के आर्यनगर चौराहा पर शुक्रवार आधी हुए हृदय विदारक हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने गोंडा बहराइच मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस के बमुश्किल लोगों को समझाकर जाम खुलवाया।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार कटरा बाजार थाना क्षेत्र के गंगादीनपुरवा के हरिओम जायसवाल अपने परिवार के साथ कौड़िया थाना क्षेत्र कस्बा आर्यनगर चौराहे की रहने वाली अपनी सास सरोज देवी की तेरहवीं में शामिल होने के लिए आए थे। अपनी पत्नी और बेटे के साथ हरिओम तेरहवीं में शामिल हुए और देर रात घर जाने के लिए निकले ही थे कि 11 वर्षीय बेटे लकी को लेकर सड़क किनारे खड़े हुए थे। इसी दौरान बहराइच की तरफ से गोंडा जा रहे एक कंटेनर ने बेटे लकी को रौंद दिया। बेटे को देख जब मां रीता उर्फ खुशबू बचाने के लिए दौड़ी तो इसी दौरान पीछे से आ रहे दूसरे कंटेनर ने उसको भी रौंद दिया। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

हरिओम जायसवाल के सामने ही 11 वर्षीय बेटे लकी और 30 वर्षीय पत्नी रीता उर्फ खुशबू ने दम तोड़ दिया। नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने आर्यनगर चौराहे पर ही दोनों शव को रख कर जाम लगाया और विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। सूचन मिलते ही मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय और सीओ आनंद राय ने गुस्साए लोगों को शान्त कराया। वहीं कौड़िया पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस का कहना है कि हादसे में दोनों मां–बेटे की मौत हो गई। शवों के पोस्टमार्टम करवाए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। परिजनों को शव अंतिम संस्कार के लिए सौंपे जाएंगे। परिजनों ने हादसे के बाद हंगामा किया था लेकिन उन्हें शांत करवाकर समझा दिया गया है। मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कंटेनरों और हादसे की जानकारी के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजनों को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।

सपा छात्रसभा ने झालमुड़ी बांटकर मनाया जश्न, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कार्यकर्ताओं में खुशी

संवाददाता–गोण्डा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद गोंडा में समाजवादी छात्र सभा ने शनिवार दोपहर अनोखे अंदाज में जश्न मनाया। जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी तैयार कर उसे पैक किया और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय चौराहा, गुरु नानक चौराहा तथा अंबेडकर चौराहे पर लोगों में वितरित किया। झालमुड़ी वितरण के दौरान स्थानीय लोगों ने इसका कारण पूछा तो सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी बांटी थी। युवाओं की मांग पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है, इसलिए समाजवादी छात्र सभा भी खुशी मना रही है। सिद्धार्थ सिंह ने इसे युवाओं की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों छात्र परेशान थे। वर्षों की मेहनत के बाद परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हो जाने से छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पेपर लीक मामलों में और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए तथा ऐसे मामलों से प्रभावित होकर आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी छात्र सभा ने तीन दिन पहले कलेक्ट्रेट गेट पर पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उन्हें हिरासत में भी लिया गया था। लगातार चल रहे आंदोलन के दबाव में सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा।

बार-बेंच समन्वय से वादकारियों को मिलेगा त्वरित न्याय -डीएम

संवाददाता–महराजगंज। कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन महराजगंज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह कलक्ट्रेट सभागार में हुआ। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई तथा उन्हें निर्वाचन प्रमाण–पत्र भी वितरित किए। डीएम ने कहा कि बार और बेंच के बीच निरंतर संवाद एवं समन्वय बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्याय की उम्मीद लेकर कलक्ट्रेट आने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में निराश होकर वापस न जाए। इसके लिए अधिवक्ताओं और प्रशासन को मिलकर कार्य करना होगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रेमप्रकाश शुक्ल एडवोकेट ने कहा कि बार के सभी सदस्य वादकारियों के हितों की रक्षा के लिए सदैव बेंच का सहयोग करेंगे, ताकि आमजन को सस्ता, सुलभ और समयबद्ध न्याय मिल सके। उन्होंने बार एवं बेंच के बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया।

अपर जिलाधिकारी डॉ. प्रशांत कुमार, अपर उप जिलाधिकारी सदर जितेंद्र कुमार तथा उप जिलाधिकारी अवनीश त्रिपाठी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर तहसीलदार सदर पंकज शाही, नायब तहसीलदार घुघली विवेक श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार कटहरी पदुम्म सिंह, सतीश चंद्र श्रीवास्तव एडवोकेट, दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेन्द्र मिश्र एडवोकेट, रामप्रसाद पटेल, राकेश बिहारी लाल, जितेंद्र लाल, केशव पांडेय, श्याम मोहन पांडेय, अनिरुद्ध लाल, जगदंबा गुप्ता सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व अध्यक्ष ओमप्रकाश मिश्र ने किया।

अयोध्या में पहली बार विराजेंगे विट्ठल भगवान

दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित मंदिर में चल रही है प्राणप्रतिष्ठा महोत्सव

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। श्रीराम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में पहली बार भगवान श्रीकृष्ण के विट्ठल स्वरूप का भव्य मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए तैयार हो गया है। महाराष्ट्र के पंढरपुर की स्थापत्य परंपरा और दक्षिण भारतीय शिल्पकला से निर्मित इस अद्भुत मंदिर में 27 जुलाई को विट्ठल भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। चार दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ 24 जुलाई से वैदिक मंत्रोच्चार एवं दक्षिण भारत के विद्वान आचार्यों के सान्निध्य में हुआ, जो 27 जुलाई को भगवान के गर्भगृह में विराजमान होने के साथ संपन्न होगा।मंदिर का निर्माण श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में कराया गया है। लगभग चार वर्षों में तैयार हुए इस मंदिर की स्थापत्य कला, नक्काशी और शिल्प दक्षिण भारत के कुशल कारीगरों ने साकार किया है। यही कारण है कि यह मंदिर अपनी वास्तुकला और धार्मिक गरिमा के कारण अयोध्या के प्रमुख आकर्षणों में शामिल होने जा रहा है।महोत्सव के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से संत, महंत, धर्माचार्य और वैदिक विद्वान अयोध्या पहुंच रहे हैं। 27 जुलाई को प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात श्रद्धालुओं के लिए भगवान विट्ठल के दर्शन सुलभ होंगे। आयोजकों का कहना है कि श्रीराम की नगरी में भगवान विट्ठल का यह प्रथम मंदिर भक्तों के लिए आस्था और भक्ति का नया केंद्र बनेगा।प्राण प्रतिष्ठा व्यवस्था के संयोजक रमेश मिश्रा शसिब्बूश ने बताया कि मंदिर का प्रत्येक भाग दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुरूप निर्मित किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के निर्देशन में चल रहे इस महोत्सव में देशभर से आए संत–महात्माओं और श्रद्धालुओं का सम्मान भी किया जाएगा।विशाल धार्मिक आयोजन की व्यवस्थाओं में राघवेंद्र मिश्रा शअप्पूश, राजेश मिश्रा शगुड्डूश तथा उनके सहयोगी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जुटे हुए हैं। श्रद्धालुओं में 27 जुलाई को विट्ठल भगवान के प्रथम दर्शन को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नहीं रुकेगा पेपर लीक –धनंजय सिंह

संवाददाता–गोण्डा। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों की मांग का सम्मान है, लेकिन इससे पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से इस मुद्दे पर संयुक्त रूप से ठोस नीति बनाने और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करने की मांग की। शनिवार शाम चार बजे धनंजय सिंह एक निजी मैरिज हाल में आयोजित निजी सिक्योरिटी कंपनी के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों की परीक्षाओं में होती रही हैं। इससे सबसे अधिक नुकसान उन छात्रों का होता है, जो वर्षों तक मेहनत कर परीक्षा की तैयारी करते हैं। इनमें किसान, मजदूर और गरीब परिवारों के बच्चे भी शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि केवल किसी मंत्री के इस्तीफे से समस्या खत्म नहीं होगी। जरूरत ऐसी व्यवस्था बनाने की है, जिससे पेपर लीक की घटनाएं ही न हों। उनके अनुसार, अलग–अलग एजेंसियों से परीक्षाएं कराने के कारण अनियमितताओं की संभावना बढ़ जाती है। धनंजय सिंह ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार सभी राज्यों के साथ मिलकर एक समान परीक्षा व्यवस्था पर विचार करे। उन्होंने कहा कि पिछले 35 वर्षों में उन्होंने सीडीएस या एनडीए जैसी सैन्य परीक्षाओं का पेपर लीक होने की घटना नहीं सुनी। इसलिए सभी प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन के लिए एक विश्वसनीय एजेंसी तय करने और उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विचार होना चाहिए। पूर्व सांसद ने कहा कि छात्रों ने लंबे समय तक आंदोलन किया, जंतर–मंतर पर धरना दिया और कई कठिनाइयों का सामना किया। सरकार ने उनकी मांग स्वीकार कर उनका सम्मान किया है, जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। हालांकि अब अगला कदम ऐसा होना चाहिए कि भविष्य में पेपर लीक की घटनाएं ही न हों। उन्होंने केंद्र सरकार से सख्त कानून बनाने, शिक्षा विशेषज्ञों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर स्थायी समाधान निकालने की अपील की।

एक ही मंडप में 67 जोड़ों ने एक दूसरे का थामा हाथ

संवाददाता–बलरामपुर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सदर तहसील स्थित माया होटल में समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें 67 जोड़ों का विवाह व निकाह एक साथ संपन्न कराया गया। इस दौरान 44 जोड़ों का विवाह वैदिक मंत्रोच्चार और हिंदू रीति–रिवाजों से, जबकि 23 जोड़ों का निकाह मुस्लिम परंपराओं के अनुसार संपन्न हुआ। पूरे आयोजन में सामाजिक समरसता, सौहार्द और उत्साह का माहौल देखने को मिला।

सदर विधायक पल्टूराम ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सम्मानजनक सहयोग का माध्यम बनी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने प्रति जोड़े मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी है। योजना के तहत 64 हजार रुपये सीधे कन्या के बैंक खाते में भेजे जाते हैं, 21 हजार रुपये की उपहार सामग्री वर वधू को प्रदान की जाती है और 15 हजार रुपये विवाह समारोह के आयोजन व अन्य व्यवस्थाओं पर व्यय किए जाते हैं। नगर के माया होटल में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया था।

नवदंपतियों और उनके परिजनों के लिए भोजन, पेयजल, बैठने सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई। गरिमामय वातावरण में संपन्न इस आयोजन ने सामाजिक सद्भाव और जनकल्याण की भावना को और मजबूत किया। इस दौरान यहां हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाज से 67 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया। समारोह में सदर विधायक पल्टूराम, तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल, जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी, नपाप अध्यक्ष प्रतिनिधि डीपी सिंह, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्त, जिला विकास अधिकारी कमलेश सोनी, जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. राहुल गुप्ता, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यशवंत मौर्य सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

सभी अतिथियों ने नवदंपतियों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद, समृद्ध और मंगलमय वैवाहिक जीवन की कामना की।

आए थे प्रेमिका से मिलने पहुंच गए हवालात

संवाददाता–महराजगंज। कोल्हुई थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेमिका से मिलने आए दो युवकों को रात ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई करते हुए चालान कर दिया है।सिद्धार्थनगर जिले के मोहाना थाना क्षेत्र के रहने वाले दो युवक रात कोल्हुई थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती से मिलने पहुंचे थे। देर रात गांव में बाहरी युवकों के आने की जानकारी होने पर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची कोल्हुई पुलिस दोनों युवकों को थाने ले आई।

पूछताछ के दौरान पता चला कि दोनों युवक गांव की एक लड़की से मिलने आए थे।मामले को लेकर गांव में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति भी बन गई थी। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर दोनों युवकों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई करते हुए चालान कर दिया। एसओ गौरव सिंह ने बताया कि क्षेत्र में कानून–व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गौ माता संरक्षण कानून की मांग को लेकर 27 जुलाई को निकलेगी शोभायात्रा सौपा जाएगा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। गौ माता के सम्मान और संरक्षण के लिए कानून बनाए जाने की मांग को लेकर दर्शननगर स्थित सूर्यकुंड से 27 जुलाई को कलेक्ट्रेट तक भव्य पदयात्रा निकाली जाएगी। गौ माता सम्मान आवाहन अभियान के तहत आयोजित इस यात्रा में छह लाख हस्ताक्षर जिला प्रशासन को सौंपे जाएंगे। अभियान का उद्देश्य देशभर में 40 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र कर संसद से गौ संरक्षण कानून बनवाने की मांग उठाना है।अभियान के अध्यक्ष नंदी बाबा नीलमणि ऋषभदेव के संयोजन में चल रहा है,इस अभियान के संबंध में संयोजक प्रमोद पांडे ने बताया कि भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या से शुरू यह अभियान गौ माता के सम्मान और संरक्षण के लिए जनजागरण का कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि यात्रा में पांच हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है।मंटू माझी ने कहा कि अभियान को युवाओं के साथ–साथ स्कूली छात्र–छात्राओं का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर कर गौ संरक्षण के प्रति अपनी आस्था और समर्थन व्यक्त किया है।उत्कर्ष मिश्रा ने बताया कि अभियान की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। 27 अप्रैल को 16 हजार हस्ताक्षर एसडीएम को सौंपे गए थे। अब 27 जुलाई को शोभायात्रा के साथ छह लाख हस्ताक्षर जिला प्रशासन को सौंपे जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो देशभर में 40 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र कर न्यायालय के माध्यम से गौ माता संरक्षण के लिए कानून बनवाने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा।अभियान की तैयारियों में सोनू सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। यात्रा दर्शननगर सूर्यकुंड से प्रारंभ होकर कलेक्ट्रेट पहुंचेगी, जहां जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

सपा ने फूलन देवी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, उनके संघर्ष और सामाजिक न्याय के आदर्शों को किया याद

संवाददाता–देवरिया। समाजवादी पार्टी ने शनिवार दोपहर दो बजे पूर्व सांसद फूलन देवी की पुण्यतिथि मनाई। जिला कार्यालय बांस देवरिया स्थित मुलायम सिंह यादव सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा जिलाध्यक्ष व्यास यादव ने की, जबकि जिला महासचिव मंजूर हसन ने संचालन किया। जिलाध्यक्ष व्यास यादव ने कहा कि फूलन देवी का जीवन अन्याय, उत्पीड़न और सामाजिक विषमताओं के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक था। उन्होंने शोषित, वंचित, पिछड़े और कमजोर वर्गों के सम्मान, अधिकार और स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया। उन्होंने यह भी बताया कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय, समानता और संविधान की मूल भावना के अनुरूप उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वक्ताओं ने फूलन देवी के संघर्ष और साहस की सराहना की। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद फूलन देवी ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों की आवाज बुलंद की। उनका जीवन आज भी लोगों के लिए प्रेरणास्रोत है।

कार्यक्रम के अंत में निजामाबाद के विधायक और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आलम बदी के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया। उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर अशोक सिंह कुशवाहा, विजय प्रताप यादव, बीरेंद्र साहनी, एडवोकेट जयराम राजभर, डॉ. रामनाथ चौहान, लक्ष्मण निषाद, मोहन गुप्ता, वंदना पासवान, कमलेश पांडेय, रमाकांत निषाद, राजेंद्र प्रसाद राजवंशी, सुनैना सिंह कुशवाहा, लल्लन गुप्ता, हंसनाथ यादव, सीमा मौर्य, अंबिका चौधरी, राम बचन सिंह यादव, रामप्रीत यादव, प्रमोद यादव, श्याम सुंदर निषाद, अर्जुन यादव, रविंद्र यादव, इजहारुल हक बबलू, अनिल यादव, गोपी यादव, रमेश यादव, हृदयानारायण जायसवाल, गिरीश जायसवाल, रणबीर यादव और मनोज यादव सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर सपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

संवाददाता–बहराइच। समाजवादी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर जश्न मनाया। यह इस्तीफा नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के विरोध में छात्रों और युवाओं के कई सप्ताह से चल रहे प्रदर्शन के बाद हुआ है।

शनिवार दोपहर करीब तीन बजे, लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष नंदेश्वर यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय के पास एकत्र हुए। उन्होंने 'छात्र एकता जिंदाबाद' और 'नौजवान एकता जिंदाबाद' के नारे लगाए, मंत्री के इस्तीफे का जश्न मनाया।

दिल्ली के जंतर–मंतर पर नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। छात्रों और युवाओं की ओर से किए जा रहे इन प्रदर्शनों के बाद शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया।

इस दौरान जिलाध्यक्ष नंदेश्वर यादव ने कहा कि छात्रों और युवाओं की एकता के आगे आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा मंत्री को पद छोड़ना पड़ा। इस अवसर पर सपा नेता रामजी यादव सहित लोहिया वाहिनी के अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।

मेंहदावल में गरमाई सियासत, पूर्व—वर्तमान विधायक आमने—सामने

संवाददाता—संतकबीरनगर। मेंहदावल में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व और वर्तमान विधायक एक बार फिर आमने—सामने आ गए हैं। श्रेय लेने की होड़ में दोनों के बीच आरोप—प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बता दे कि विकास कार्यों का श्रेय लेने के चक्कर में ही स्वर्गीय निवर्तमान सांसद शरद त्रिपाठी और निवर्तमान मेंहदावल विधायक राकेश सिंह बघेल में जूता कांड देखने को मिला था। एनडीए गठबंधन की निषाद पार्टी के मेंहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी ने बिना नाम लिए पूर्व विधायक पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 2019 के चर्चित ष्जूता कांडष की याद दिलाते हुए कहा कि ष्वह व्यक्ति उसी काबिल है।ष विधायक ने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक ने अपने कार्यकाल में क्षेत्र का विकास नहीं कराया, जबकि अब उनके द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों का श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है। विधायक त्रिपाठी ने मेंहदावल शहर के संस्कार मंडप में मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि वह जल्द ही पूर्व विधायक से जुड़े कई मामलों का खुलासा करेंगे। जब मीडिया ने उनसे नाम पूछा, तो उन्होंने कहा, ष्उस व्यक्ति का नाम लेना भी पाप होगा। अनिल त्रिपाठी ने एक अन्य आरोप में कहा कि एक मामले के कारण जिला अधिकारी (डीएम) आलोक कुमार भी मुश्किल में फंस गए हैं। इसके लिए भी उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व विधायक को ही जिम्मेदार ठहराया। हालांकि, विधायक ने इस संबंध में कोई दस्तावेज या विस्तृत जानकारी सार्वजनिक साझा नहीं की।

विधायक के इन बयानों के बाद मेंहदावल की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। उनके आरोपों को लेकर क्षेत्र में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि विधायक जिन बड़े खुलासों का दावा कर रहे हैं, उन्हें कब और किस आधार पर सार्वजनिक करते हैं।

प्रेमी को जेल भेजने के बाद थाने पहुंची युवती ने पी लिया फिनायल

संवाददाता—गोरखपुर। चौरीचौरा थाना परिसर में शनिवार दोपहर बाद उस समय हड़कंप मच गया, जब अपने प्रेमी से मिलने की जिद लेकर थाने पहुंची एक युवती ने अचानक अपने पर्स से फिनायल निकालकर पी लिया। घटना के बाद पुलिसकर्मियों के हाथ—पांव फूल गए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल युवती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौरीचौरा पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, देवरिया जिले की रहने वाली युवती ने दो दिन पहले चौरीचौरा थाना क्षेत्र के मुंडेरा बाजार वार्ड नंबर नौ निवासी धनंजय निषाद के खिलाफ शादी का झांसा देकर तीन वर्षों तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर शुक्रवार को आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। शनिवार दोपहर करीब 1रू30 बजे युवती अचानक चौरीचौरा थाने पहुंची और ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों से आरोपी युवक से मिलने की जिद करने लगी। पुलिस ने उसे बताया कि आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है और अब मुलाकात जेल प्रशासन की प्रक्रिया के अनुसार ही संभव है। यह जानकारी मिलने के बाद युवती नाराज हो गई। इसी दौरान उसने अपने पर्स में रखी फिनायल निकालकर पी ली। पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे रोकने का प्रयास किया और बिना देर किए एंबुलेंस की सहायता से सीएचसी पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही थाना परिसर में अफरा—तफरी मच गई। चिकित्सकों ने समय रहते उपचार शुरू किया, जिससे युवती की जान बच गई।

पुलिस अधिकारियों ने भी अस्पताल पहुंचकर युवती के स्वास्थ्य की जानकारी ली। प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि जिस युवक के खिलाफ युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था, उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शनिवार को युवती थाने पहुंचकर उससे मिलने की जिद कर रही थी। उसे बताया गया कि अब मुलाकात जेल में निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही हो सकती है। इसके बाद उसने अपने पर्स में रखी फिनायल पी ली। पुलिस ने तत्काल उसे सीएचसी भेजवाया, जहां उपचार के बाद उसकी हालत सामान्य है और वह पूरी तरह खतरे से बाहर है।

पुलिस मुठभेड़ में शातिर युवक गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

संवाददाता—अम्बेडकरनगर। अम्बेडकरनगर के मालीपुर थाना क्षेत्र में युवक को गोली मारकर घायल करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शनिवार को मालीपुर पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में मुख्य आरोपी दुर्गेश सिंह पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी को पहले सीएचसी नगपुर और बाद में बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने उसके एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। सीओ जलालपुर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार दोपहर बाद मालीपुर पुलिस और एसओजी की टीम सुरहुरपुर—मित्तूपुर मार्ग पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सामने से बाइक पर आते दो युवकों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों भागने लगे। पीछा करने पर एक युवक ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गोली आरोपी दुर्गेश सिंह निवासी मालीपुर के दाहिने पैर में लगी। इसके बाद उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके साथ मौजूद दूसरे आरोपी को कांबिंग के दौरान दबोच लिया गया।पुलिस के मुताबिक, 21 जुलाई को हाजीपुर निवासी अतुल यादव अपने एक साथी के साथ खजूरी बाजार खाद लेने गया था। खाद खरीदने के बाद वह एक दुकान पर समोसा खा रहा था। इसी दौरान स्विफ्ट डिजायर कार से पहुंचे चार युवकों ने उस पर तमंचे से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जान बचाने के लिए अतुल भागा, लेकिन हमलावरों ने पीछा कर उसके पैर में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के बाद मालीपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के आधार पर फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। जल्द ही पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।

तामेश्वर नाथ धाम का डीएम—एसपी ने दौरा किया

संवाददाता—संतकबीरनगर। शनिवार को जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने आगामी श्रावण मास मेला एवं कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बाबा तामेश्वर नाथ धाम परिसर में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों, मंदिर के पुजारी और स्थानीय ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान भगवान शिव की पूजा—अर्चना भी की गई। बैठक का उद्देश्य 30 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावण मास मेला और कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना था। समीक्षा के बाद, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने तामेश्वर नाथ धाम परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने पार्किंग स्थल, साफ—सफाई और विद्युत व्यवस्था का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को समय से पहले सभी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सावन मास में भगवान शिव का जलाभिषेक और कांवड़ यात्रा पर्व को आपसी प्रेम एवं सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने जनपद की शांतिप्रिय और सौहार्दपूर्ण परंपरा को बनाए रखने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि श्रावण मास के दौरान रविवार और सोमवार को विद्युत कटौती न की जाए। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने सभी थानाध्यक्षों, चौकी प्रभारियों, मंदिर के पुजारी और स्थानीय नागरिकों से श्रावण मासध्कांवड़ यात्रा के दौरान सहयोग की अपील की।

प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

संवाददाता—संतकबीरनगर। सरैया रेलवे क्रॉसिंग के पास शुक्रवार देर रात एक प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जांच में यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक युवक की पहचान गोरखपुर के कैम्पियरगंज थाना क्षेत्र के लिलहवा चमुखा निवासी अर्जुन (20) पुत्र रामसूरत के रूप में हुई है। वह मैकेनिक का काम करता था। युवती की पहचान संतकबीरनगर के बखिरा थाना क्षेत्र के चिरैयाडाड़ निवासी लक्ष्मीना (19) पुत्री खरबान के तौर पर की गई है। परिजनों के अनुसार, अर्जुन और लक्ष्मीना पिछले लगभग एक साल से प्रेम संबंध में थे और जल्द शादी करना चाहते थे। दोनों परिवारों को इस रिश्ते पर सहमति थी, लेकिन युवती के परिजन आर्थिक कारणों से शादी को तीन—चार साल टालना चाहते थे। इसी बात को लेकर युगल मानसिक तनाव में था। जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार दोपहर दोनों अपने—अपने घरों से बिना बताए निकल गए थे। परिजन देर शाम तक उनकी तलाश करते रहे, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। देर रात सरैया रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रेन से कटकर दोनों की मौत की सूचना मिलने पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। मृतका की मां ने बताया कि दोनों शादी की बात कर रहे थे। उन्होंने लड़के वालों से भी इस संबंध में बातचीत की थी, जिसमें लड़के पक्ष ने शादी के लिए सहमति जताई थी, लेकिन कुछ वर्षों बाद विवाह करने की बात कही थी। उन्होंने अपनी बेटी से भी कुछ समय इंतजार करने को कहा था। इसके बाद दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी परिवार को नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। सीओ प्रियम राजशेखर पांडेय ने बताया कि दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय—श्रीमान तृतीय अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला—बस्ती
मूलवाद सं0—126/2008
भवनाथ
बनाम
ओंकारनाथ
1/1 सूर्यमणि 1/2 चन्द्रमणि 1/3 देवमणि 1/4 सन्तोषमणि पुत्रगण स्व0 ओंकारनाथ 1/5 श्रीमती कैलाशी 1/6 श्रीमती विजयलक्ष्मी पुत्रीगण स्व0 ओंकारनाथ 3/1 देवेन्द्रनाथ 3/2 महेन्द्रनाथ 3/3 सत्येन्द्रनाथ 3/4 जितेन्द्र पुत्रगण स्व0 राजेन्द्र 3/5 नीलू पुत्री राजेन्द्र समस्त निवासीगण ग्राम दावरपार तप्पा रामगढ़ परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती
तारीख पेशी 28—08—2026
हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 28 माह 08 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा। बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया। —द0 हाकिम

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)
मूलवाद सं० 117/2026
न्यायालय— श्रीमान अपर सिविल जज (जू०डि०) कक्ष सं0—1 महोदय नौगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
रमेश आदि
बनाम
राधिका देवी आदि
1— राधिका देवी आयु करीब 65 साल पत्नी स्व0 महेश 2—योगेन्दर आयु करीब 35 साल 3—गोविन्द आयु करीब 32 साल 4—राजेश आयु करीब 28 साल 5—राजेन्द्र आयु करीब 25 साल पुत्रगण स्व० महेश साकिनान जोगिया, तप्पा नादेपार, पो० जोगिया, परगना व तहसील नौगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर
तारीख पेशी— 05.08.2026
प्रतिवादी ने आपके विरूद्ध के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक **05—08—2026** को दिन में 10 बजे वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे अधिवक्ता प्लीडर द्वारा उप संजात हो सकते हैं। जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो बात से सम्बंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके न्यायालय में आपके उप संजात के लिये जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अन्तिम निपटारे के लिये नियत दिन है। इसलिये आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिये तैयार रहना चाहिये जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिये निर्भर रहना चाहते हैं।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि अगर ऊपर बतायी गयी तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज तारीख 2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
न्यायाधीश

सूचना गजट

सूचित किया जाता है कि न्यायालय अपर आयुक्त, बस्ती मंडल बस्ती निगरानी सं0 C202517000000582 श्री कान्त सिंह, आदि —वनाम— सरकार आदि सा0 रेवरादास तप्पा रामगढ़ परगना अमोढ़ा तहसील हरैया जिला बस्ती अन्तर्गत धारा 210/30(1) उ0 प्र0 रा0 सं0— 2006 न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें मारकंडे पुत्र रामचन्द्र निवासी रेवरादास तप्पा रामगढ़ परगना अमोढ़ा तहसील हरैया जिला बस्ती बतौर पतिपक्ष सं0 3 अंकित है। जिनके बारे मे पता चला है, कि उक्त व्यक्ति मृतक हो गये है ऐसी स्थिति मे यदि मारकंडे पुत्र रामचन्दर यदि जिन्दा है तो स्वयं अथवा यदि उनके कोई वारिस हो तो निगरानी में पैरवी हेतु दि0 06—08—2026 ई0 को उपस्थित होकर अपना पक्ष माननीय अपर आयुक्त (न्यायिक) बस्ती मंडल बस्ती के न्यायालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।
अपर आयुक्त (न्यायिक)
बस्ती मंडल बस्ती
दिनांकः— 25.07.2026

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)
वाद सं० 567/2025
न्यायालय— श्रीमान सिविल जज (जू०डि०) नौगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर
कौशल कुमार दूबे आदि
बनाम
ओम प्रकाश पाण्डेय आदि
1. ओमप्रकाश पाण्डेय बालिग पुत्र श्री संकटा प्रसाद पाण्डेय साकिन किशुन पुरवा तप्पा मसिना परगना बॉसी पूरब तहसील बांसी जनपद सिद्धार्थनगर
—प्रतिवादी प्रथम पक्ष
2. शुभम सोनी बालिग पुत्र राजेश सोनी 3. सागर सोनी बालिग पुत्र राजेश सोनी 4. अंश सोनी बालिग पुत्र राजेश सोनी 5. श्रीमती अर्चना सोनी बालिग पत्नी राजेश सोनी समस्त ग्राम निवासी न०पा०प० बॉसी जिला सिद्धार्थनगर
—प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष
तारीख पेशी— 08.09.2026
प्रतिवादी ने आपके विरूद्ध के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक **08—09—2026** को दिन में 10 बजे वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे अधिवक्ता प्लीडर द्वारा उप संजात हो सकते हैं। जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो बात से सम्बंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके न्यायालय में आपके उप संजात के लिये जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अन्तिम निपटारे के लिये नियत दिन है। इसलिये आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिये तैयार रहना चाहिये जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिये निर्भर रहना चाहते हैं।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि अगर ऊपर बतायी गयी तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज तारीख 25.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
न्यायाधीश

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान तृतीय अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला—बस्ती
वाद संख्या 971/1995
पारसनाथ पाण्डेय
बनाम
धर्मराज आदि
1. मीना देवी उम्र लगभग 63 साल विधवा पत्नी स्व0 भरथ कुमार 2. बीरू उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र स्व0 भरथ कुमार 3. संतोष कुमार उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र स्व0 भरथ कुमार 4. मंजू देवी उम्र लगभग 40 साल पुत्री स्व0 भरथ कुमार निवासीगण ग्राम मिरवापुर तप्पा हरदी परगना बस्ती पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती
तारीख पेशी 04—09—2026
हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 04 माह 09 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया। —द0 हाकिम

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)
प्रकीर्ण वाद सं० 13/2007
न्यायालय— श्रीमान सिविल जज (जू०डि०) नौगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर
इन्द्रजीत आदि
बनाम
श्रीमती सरोजना
1. श्रीमती सरोजना पत्नी स्व० गुरई मिश्रा साकिन — लेजरूआ तप्पा लेहडा परगना फरेन्दा लहसील फरेन्दा जिला महाराजगंज
तारीख पेशी— 20.08.2026
प्रतिवादी ने आपके विरूद्ध के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक **20—08—2026** को दिन में 10 बजे वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे अधिवक्ता प्लीडर द्वारा उप संजात हो सकते हैं। जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो बात से सम्बंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके न्यायालय में आपके उप संजात के लिये जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अन्तिम निपटारे के लिये नियत दिन है। इसलिये आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिये तैयार रहना चाहिये जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिये निर्भर रहना चाहते हैं।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि अगर ऊपर बतायी गयी तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज तारीख 2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
न्यायाधीश

नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी मोहम्मद जावेद अली पुत्र नुरूल्लाह अली जन्म से हिन्दू है, मेरा पिता का नाम ओम प्रकाश, दादा का नाम स्वर्गीय काशी प्रसाद तथा माता का नाम आशा देवी है। प्रार्थी बभनगांवा पोस्ट— गांधीनगर जनपद बस्ती (उ.प्र.) का मूल निवासी है। प्रार्थी अब मुम्बई से बस्ती आकर अपने पिता भाई के साथ रहकर हिन्दू हो गया है। मैंने जावेद अली पुत्र नुरूल्लाह के स्थान पर अपना पुराना नाम विशाल पुत्र ओम प्रकाश कर लिया है। मुझे अब विशाल पुत्र ओम प्रकाश के नाम से जाना और पहचाना जाय साथ ही मेरा आधारकार्ड, पैन कार्ड एवं अभिलेख विशाल पुत्र ओम प्रकाश के नाम से संशोधित कराया जाय।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील
वाद सं0—C202017000000638
अदालत— श्रीमान श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) बस्ती मण्डल महोदय बस्ती जिला—बस्ती
बिहारी लाल
बनाम
बिल्लर आदि
1. बिल्लर पुत्र गुरूचरन निवासी ग्राम हलवइया चक तप्पा सिकन्दरपुर परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती 2. सरकार उ0प्र0 द्वारा जिलाधिकारी बस्ती 3. ग्राम सभा प्रधान ग्राम पंचायत हलवइया चक तप्पा सिकन्दरपुर परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती द्वारा प्रधान/अध्यक्ष
तारीख पेशी 06—08—2026
अपील बनराजी अदालत मुकाम बस्ती
मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट
इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 06 महीना 08 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी। आज बतारीख 25 माह 07 सन 2026 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत—श्रीमान पंचम अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला—बस्ती
प्रकीर्ण वाद सं0—173/2024
गोमती प्रसाद आदि
बनाम
रामदीन आदि
1. रामदीन पुत्र घिराऊ (मृतक) 1/1 सन्तराम पुत्र रामदीन 1/2 कन्हैया पुत्र रामदीन 1/3 अम्बिका पुत्र रामदीन 2. पुरई पुत्र घिराऊ (मृतक) 2/1 मोती 2/2 राजाराम 2/3 जयराम पुत्रगण पुरई 3. बद्री पुत्र कुंजल 4. रामकेवल पुत्र जियाऊ (मृतक) 4/1 मुकेश पुत्र रामकेवल 4/2 श्रीमती मंजू पत्नी रामकेवल साकिनान मौजा पिकौरा तप्पा गौर परगना बस्ती पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती 5. सीताराम पुत्र रामटहल (मृतक) 5/1 श्रीमती बिजली पत्नी सुखई पुत्री सीताराम साकिन ग्राम मंसूरनगर पो0 मंसूरनगर जिला—बस्ती 5/2 श्रीमती किरन पत्नी दूबर पुत्री सीताराम साकिन ग्राम बीरपुर पो0 बीरपुर तहसील मनकापुर जिला गोण्डा 5/3 श्रीमती मेघा पत्नी शिवबरन पुत्री सीताराम साकिन ग्राम नरखोरिया तप्पा आदमपुर परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला बस्ती 6. ग्राम पंचायत रमवापुर द्वारा प्रधान ग्राम पंचायत साकिन रमवापुर (कुचरूपुर) तप्पा गौर परगना बस्ती पश्चिम तहसील हर्रैया जिला—बस्ती
तारीख पेशी 30—09—2026
हरगाह मुद्दई मजकुरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।
लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 30 माह 09 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।
मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
द0 हाकिम

बेदखली सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, काशीराम पुत्र बलदेव, निवासी गायघाट, पोस्ट—गायघाट, थाना—कलवारी, जिला—बस्ती (उ.प्र.) का निवासी हूं। मेरा पुत्र गोविंद उम्र लगभग 29 वर्ष जो गलत संगत, अमर्यादित, आपराधिक व समाज—विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है तथा मेरा व मेरी पत्नी का भरण—पोषण नहीं करता और मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, मैंने उसे अपनी समस्त चल—अचल सम्पत्ति व परिवार से पूर्णतः बेदखल कर दिया है। भविष्य में उससे किसी भी प्रकार का लेन—देन अथवा क्रय—विक्रय, वाद, विवाद करने वाला व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। इससे मेरा और मेरे परिवार का कोई सरोकार नहीं होगा। प्रकाशन इसलिये करा रहा हूं कि वक्त जरूरत पर काम आवे।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान प्रथम अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला—बस्ती
वाद संख्या 47/2009
जीतन प्रसाद आदि
बनाम
सरकार आदि
1. सरकार उ0प्र0 बजरिये जिलाधिकारी महोदय बस्ती 2. ग्राम पंचायत सिकराखुर्द बजरिये ग्राम प्रधान सिकराखुर्द तप्पा कोरऊ परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 19—08—2026
हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 19 माह 08 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
—द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला—बस्ती
वाद संख्या 235/2024
श्रीमती इन्द्रावती देवी आदि
बनाम
निजामुद्दीन आदि
1. निजामुद्दीन उम्र लगभग 60 वर्ष पुत्र असगर अली 2. मो0 शरीफ उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र निजामुद्दीन साकिनान नगर बाजार तप्पा हवेली परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 09—09—2026
हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 09 माह 09 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
—द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1—4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक—**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक—**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या—फैजाबाद कार्यालय—
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या—फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय—
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय—
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल **bhartiyabasti@gmail.com**
dainikbhartiyabasti@gmail.com